

कार्यालय आयुक्त एवं निबन्धक सहकारिता उ०प्र०
पत्रांक 21-83/अधि०-8५०/डी०सी०बी० दिनांक लखनऊ मार्च ०९ 2016

1-समस्त सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक,
सहकारिता, उत्तर प्रदेश।

2-समस्त सचिव/मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
जिला सहकारी बैंक लि०, उ०प्र०।

विषय:- एक सहकारी संस्था से दूसरी सहकारी संस्था में अधिकारियों/कर्मचारियों के
आमेलन/प्रतिनियुक्ति के सम्बन्ध में।

उ०प्र० सहकारी समिति कर्मचारी सेवा विनियमावली 1975 के विनियम सं० 5(1)(ग) के अधीन
प्रतिनियुक्ति पर या अन्यथा लेकर भर्ती करने तथा विनियम सं० 10(3) के अधीन निबन्धनों एवं शर्तों
के अधीन एक सहकारी समिति के स्थायी कर्मचारी का दूसरी सहकारी समिति की सेवाओं में
आमेलन/प्रतिनियुक्ति की स्वीकृत उ०प्र०सहकारी संस्थागत सेवा मण्डल द्वारा कतिपय निबन्धनों एवं
शर्तों पर दिए जाने का प्राविधान है।

कतिपय व्यवहारिक कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुए इस कार्यालय के परिपत्र सं०
सी-117/अधि० दिनांक 4.3.2015 द्वारा आमेलन/प्रतिनियुक्ति पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी
गयी थी।

इस सम्बन्ध में कतिपय कर्मचारियों की पारिवारिक स्थिति एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रकरण सामने
आये हैं, जिस पर मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए उक्त सन्दाभेत परिपत्र को निरस्त करके कुछ
निम्नलिखित व्यवस्था स्थापित की जाती है-

"यथा संभव किसी अधिकारी/कर्मचारी का एक सहकारी संस्था से दूसरी सहकारी संस्था में
आमेलन न किया जाय, किन्तु यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी को उसकी पारिवारिक स्थिति, स्वास्थ्य
सम्बन्धी समस्या या अन्य किसी अपरिहार्य परिस्थिति में उसका आमेलन/प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाना
आवश्यक हो तो सम्बन्धित मण्डलों के उप/संयुक्त आयुक्त एवं उप/संयुक्त निबन्धक से परीक्षण
कराकर आख्या के साथ उ०प्र० सहकारी समिति कर्मचारी सेवा विनियमावली 1975 में प्राविधानित
संगत व्यवस्था के अनुसार प्रस्ताव इस कार्यालय में प्रेषित किया जाय। प्रस्ताव पर अधोहस्ताक्षरी का
अनुमोदन प्राप्त हो जाने के उपरान्त उ०प्र० सहकारी संस्थागत सेवा मण्डल द्वारा आमेलन/
प्रतिनियुक्ति के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

(किशन सिंह अटारिया)

7/2 आयुक्त एवं निबन्धक,
सहकारिता, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक 21-83/अधि०-8५०/डी०सी०बी० दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1-समस्त उप/संयुक्त आयुक्त एवं उप/संयुक्त निबन्धक, सहकारिता, उ०प्र०।

2-समस्त योजना अधिकारी मुख्यालय।

3-सचिव, उ०प्र० सहकारी संस्थागत सेवा मण्डल, लखनऊ।

4-समस्त प्रबन्ध निदेशक, सहकारी शीर्ष संस्थाएँ, उ०प्र०।

5-प्रमुख सचिव, सहकारिता उ०प्र० शासन लखनऊ।

6-प्रभारी कम्प्यूटर सेल को बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु।

SCD
(एस०सी० द्विवेदी)

अपर आयुक्त एवं अपर निबन्धक(बैंकिंग)

7/2 सहकारिता, उ०प्र०, लखनऊ।